राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

ज्येष्ठ 3, मंगलवार, शाके 1933–मई 24, 2011
Jyaistha 3, Tuesday, Saka 1933–May 24, 2011

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2011

संख्या प. 4(3) विधि/2/2011.–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011

(2011 का अध्यादेश संख्यांक 03)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान राज्य में आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अध्यादेश।

यतः विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और स्फुरित और उत्तरदायी

प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), हैदराबाद जो आन्ध्रप्रदेश (तेलंगाना एरियाज) पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1350 फासली, (एक्ट 1 ऑफ 1350 एफ) के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, हैदराबाद के कार्यालय में 1984 के रजिस्ट्रीकरण सं. 1602 दिनांक 20-10-1984 द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है;

और यतः, उक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), हैदराबाद ने राजस्थान राज्य में ग्राम जामडोली, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गया है और इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए दो करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, निदेशक, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर और संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड

फाईनेंसियल एनालिसिस ऑफ इंडिया, (आई.सी.एफ.ए.आई.) हैदराबाद को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

यतः राजस्थान राज्य विधान-सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अध्यादेश का नाम आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टैलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 24, 2011

No. F. 4 (3) Vidhi/2/2011.–In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the ICFAI Vishwavidhyalaya, Jaipur Adhyadesh, 2011 (2011 Ka Adhyadesh Sankhyank 03) promulgated by him on the 23rd day of May, 2011:–

(Authorized English Translation)

THE ICFAI UNIVERSITY, JAIPUR ORDINANCE, 2011

(Ordinance No. 03 of 2011)

[Made and promulgated by the Goernor on the 23rd day of May, 2011]

An

Ordinance

to provide for establishment and incorporation of the ICFAI University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational facilities to the youth at their door steps so that they can make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world;

And whereas, rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of educational research and development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory set up and such a system can be created by allowing the private institutions engaged

in higher education having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions;

And whereas, the Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad is a Public Trust registered under the Andhra Pradesh (Telangana areas) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli (Act I of 1350 F) in the office of Registrar of Societies, Hyderabad vide Registration No. 1602 of 1984 dated 20-10-1984.

And whereas, the said Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad has set up educational infrastructures, both physical and academic, as specified in Schedule I, at Village Jamdoli, Tehsil Jaipur, District Jaipur in the State of Rajasthan and has agreed to invest the said infrastructure in a University for research and studies in the disciplines specified in Schedule II and has also deposited an amount of rupees two crores to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Ordinance;

And whereas, the sufficiency of the above infrastructure has been got enquired into by a committee, appointed in this behalf by the State Government consisting of the Vice-chancellor, University of Rajasthan, Jaipur, Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Law, University of Rajasthan, Jaipur, Director, Malviya National Institute of Technology, Jaipur and Dean, Faculty of Education, University of Rajasthan, Jaipur;

And whereas, if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad is allowed to run the University, it would contribute in the academic development of the people of the State;

And whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-second Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Ordinance may be called the ICFAI University, Jaipur Ordinance, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "AICTE" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987);

(b) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi- a funding agency of the Central Government;

(c) "DEC" means the Distance Education Council established under section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (Central Act No. 50 of 1985);

(d) "Distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(e) "DST" means the Department of Science and Technology of the Central Government;

(f) "employee" means a person appointed by the University to work in the University and includes teachers, officers and other employees of the University;